रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 276] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 9, 1976/श्रावण 18, 1898
No. 276] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 9, 1976/SRAVANA 18, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August 1976

G.S.R. 759(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Fertiliser (Control) Order, 1957 namely:—

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Control) seventh amendment Order, 1976.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the said Order, in clause 20, in sub-clause (1), for paragraph (d), the following paragraph shall be substituted, namely:—

"(d). seize or detain any fertiliser in respect of which he has reason to believe that a contravention of this Order has been committed. He may also seize any books of accounts or documents which in his opinion would be useful for, or relevant to any proceedings under this Order and return such books of account and documents to person from whom they were seized after copies thereof or extracts therefrom, as certified by such person have been taken:

Provided that where the owner or other person in charge of the fertiliser or books of accounts or documents so seized is known, the Inspector shall give a receipt to such owner or other person for such fertiliser or books of accounts or documents and in any other case, it shall not be necessary to give such receipt."

[No. 10-53/74-MPR-STU]

ANNA R. MALHOTRA, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1976

सां० का० नि० 759(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम उर्वरक (नियंत्रण) सातवां संशोधन आदेश, 1976 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. उक्त आदेश में खंड 20 के उपखंड (1) में, पैरा (घ) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) किसी उर्वरक को, जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश का उल्लंघन किया गया है, अभिगृहीत या निरुद्ध कर सकेगा। वह किन्हीं लेखा बहियों या दस्तावेजों को भी, जो उसकी राय में इस आदेश के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए लाभप्रद या सुसंगत हो, अभिगृहीत कर सकेगा तथा ऐसा लेखा बहियों और दस्तावेजों को उस व्यक्ति को, जिससे वे अभिगृहीत की गई हों, ऐसे व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित उनकी प्रतियां या उद्धरण लिए जाने के पश्चात्, लौटा देगा :

परन्तु जहां इस प्रकार अभिगृहीत उर्वरक या लेखा बहियों या दस्तावेजों का स्वामी या अन्य भार साधक व्यक्ति ज्ञात है, वहां निरीक्षक ऐसे उर्वरक या लेखा बहियों या दस्तावेजों के ऐसे स्वामी या अन्य व्यक्ति को एक रसीद देगा और किसी अन्य मामले में ऐसी रसीद देना आवश्यक नहीं होगा।

[सं० 10-53/74-एम पी आर-एम टी यू०]

प्रभा आर० मलहोत्रा, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976